संख्याः \ /XXVII(7)50(16)/2016

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,**
   उत्तराखण्ड शासन।
2. **समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,**
   उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 — **देहरादून, दिनांकः 07 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2018**

विषयः पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन पर मूल नियम–22–बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिए तिथि का विकल्प।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन पर वेतन निर्धारण की सुस्पष्ट व्यवस्था वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम–22–(बी)(1) के अन्तर्गत प्राविधानित है। किसी सरकारी सेवक के किसी अन्य पद जिसके कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व उसके द्वारा धृत पद से सम्बन्धित कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो, पर नियुक्ति/पदोन्नति पर शासनादेश सं0–जी–2–854/दस–333/86 दिनांक 17 सितम्बर, 1988 द्वारा सम्बन्धित सरकारी सेवक को उसके विकल्प के अनुसार पदोन्नति की तिथि को अथवा उसकी अगली वेतनवृद्धि की तिथि को कमशः मूल नियम–22–(ए)(1) एवं 22–(बी)(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारित किए जाने की स्पष्ट व्यवस्था की गई है।

2– सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के सन्दर्भ में राज्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि के लिए गठित वेतन समिति की संस्तुतियों पर दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सरकारी सेवक की प्रोन्नति अथवा ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 अथवा समयमान/चयन वेतनमान की व्यवस्थानुसार वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक को उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 17 सितम्बर, 1988 एवं मूल नियम–23(1) के अन्तर्गत प्रोन्नति की तिथि अथवा अगली वेतन वृद्धि की तिथि को मूल नियम–22(बी)(1) एवं 22(ए)(1) के अनुसार वेतन निर्धारण कराने का विकल्प यथावत उपलब्ध रहेगा।

3– उक्तानुसार वेतन निर्धारण के उपरान्त आगामी वेतन वृद्धि की तिथि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के नियम–10(3)में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

कमशः.............2

संख्याः I I /XXVII(7)/50(16)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।